रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267268
CG-DL-E-30102025-267268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683]	नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 22, 2025/ आश्विन 30, 1947
No. 683]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ ASHVINA 30, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर , 2025

सा.का.नि. 767(अ)- केन्द्रीय सरकार, बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ट) और (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील) नियमावली, 2024 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बॉयलर (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 है।

   (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ग) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में है।

3. **लागू होना –** ये नियम सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे।

4. **शिकायत —**निरीक्षक सहित कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 27, 28, धारा 30 की उप-धारा (1) और धारा 31 के अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से प्ररूप-1 में शिकायत अभिलिखित करा सकता है।

5. **न्यायनिर्णयन के लिए जांच करना –** (1) अधिनियम की धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास यह विश्वास का कारण है कि किसी व्यक्ति ने उस धारा में विनिर्दिष्ट उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-II में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अवधि से कम न हो, कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस, किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा।

(4) उपस्थित होने की नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है, यह समझाएगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर कौन-सा उल्लंघन किया गया है।

(5) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उस व्यक्ति को प्ररूप-III के अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी आगामी तारीख तक स्थगित किया जा सकता है।

(6) इस नियम के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी ऐसे व्यक्ति से साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा उसे बुला सकता है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है।

(7) यदि कोई व्यक्ति उप नियम (3) के अधीन जारी नोटिस के संदर्भ में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, जांच को आगे बढ़ा सकता है।

(8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह तर्कसंगत तथा लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन, ऐसी शास्ति लगा सकता है जो वह उचित समझे।

(9) उप-नियम (8) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में इस अधिनियम के उन उपबंधों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और उसमें शास्ति लगाने के कारणों को शामिल किया जाएगा।

(10) इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता तथा उस व्यक्ति को बिना किसी फीस के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी तथा आदेश की एक प्रति मुख्य निरीक्षक को भी अग्रेषित की जाएगी।

(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन नोटिस जारी करने के छह माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

6. अपीलः- (1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष समक्ष प्ररूप IV में अपील दायर कर सकता है।

(2) जहां कोई अपील उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, वहां आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा उन संगत तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा ताकि वह अपील प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण विद्यमान थे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन दायर अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे -

(क) नियम 5 के उप-नियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति;

(ख) जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की गई है उनका स्पष्ट विवरण;

(ग) अपील का आधार; और

(घ) अधिनियम की संबंधित धारा का उल्लेख।

(4) अपील तीन प्रतियों में दायर की जाएगी-

(क) अपीलकर्ता द्वारा स्वयं; अथवा

(ख) उसके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा; अथवा

(ग) उसकी ओर से विधिवत रूप से नियुक्त वकील द्वारा

(5) डाक से भेजी गई अपील, अपील प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को दायर मानी जाएगी जिस तारीख को वह प्राप्त हुई है।

(6) जांच के पश्चात् यदि अपील सही पाई गई, तो उसे अपील प्राधिकारी की फाइल पर लिया जाएगा।

(7) जांच के उपरांत,-

(क) जहां अपील त्रुटिपूर्ण पाई गई है और पाई गई त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, वहां अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को स्वयं की उपस्थिति में उसे सुधार करने की अनुमति दे सकता है;

(ख) जहां त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है, वहां अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को त्रुटि को सुधारने के लिए उतना समय दे सकता है, जितना वह उचित समझे;

(ग) जहां ऐसी अपील डाक द्वारा भेजी गई हो और उसमें त्रुटि पाई गई हो, वहां अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को त्रुटि की सूचना दे सकेगा और अपीलकर्ता को त्रुटि को ठीक करने के लिए उतना समय दे सकेगा, जितना वह उचित समझे।

(8) जहां अपीलकर्ता उप नियम (8) के अधीन अनुमत समय के भीतर त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है, वहां अपील प्राधिकारी आदेश द्वारा, तथा लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अपील को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर सकता है और ऐसा आदेश अपीलकर्ता को उसके सात दिन के भीतर संसूचित कर सकता है।

7. फीस – (i) प्रत्येक अपील के साथ 1000/- रुपए (एक हजार रुपए मात्र) की फीस आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, के पक्ष में नई दिल्ली को देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट, अथवा भारत कोष पोर्टल www.bharatkosh.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।

(2) भुगतान पावती पर्ची अपील के साथ संलग्न करनी होगी।

8. प्रतिवादी को अपील की सूचना- अपील की एक प्रति अपील प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी।

9. प्रतिवादी द्वारा अपील का प्रत्युत्तर दायर करना- (1) प्रतिवादी, अपील का नोटिस दिए जाने के तीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रत्युत्तर दायर करेगा।

(2) प्रतिवादी द्वारा दायर प्रत्येक आवेदन, प्रत्युत्तर, दस्तावेज या लिखित सामग्री की एक प्रति, अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को तत्काल तामील की जाएगी।

10. सुनवाई की तारीख- अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख की सूचना पक्षकारों को देगा।

11. अपील का निपटान- (1) सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जा सकती है, -

(क) अपील के संदर्भ में अपीलकर्ता का पक्ष सुना जाएगा;

(ख) अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, प्रतिवादी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का पक्ष सुनेगा;

(ग) अपीलकर्ता जबाव देने का हकदार होगा; और

(घ) लिखित तर्कों के साथ मौखिक बहस भी की जा सकेंगी, जो अपील प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अध्यधीन होंगी।

(2) अपील प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाही के अभिलेख मांग सकेगा।

(3) जहां अपीलकर्ता उपस्थित होने में असफल रहता है, वहां अपील प्राधिकारी अपने विवेकानुसार-

(i) अपील को खारिज कर सकता है; या

(ii) अपील के गुण-दोष के आधार पर एकपक्षीय निर्णय कर सकता है।

(4) अपील प्राधिकारी अपील दायर करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान कर देगा।

(5) इस नियम के अधीन प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।

12. आदेश और शास्ति - (1) इन नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख अंकित होगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन शास्ति के जरिए वसूली गई समस्त राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी।

प्ररूप–I

[नियम 4 देखें]

सेवा में
जिला / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

____

विषय: बॉयलर अधिनियम, 2025 का उल्लंघन करते हुए बॉयलर का संचालन।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि मैसर्स .... के .... स्थित परिसर में रजिस्ट्रीकरण संख्या...............मेकर संख्या................ स्वामी का नाम........... वाले बॉयलर में

बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा .... का उल्लंघन किया गया है (सूचना/रिपोर्ट (यदि कोई हो) की प्रति संलग्न है)।

2. उपर्युक्त उल्लंघन के लिए बॉयलर अधिनियम, 2025 के अधीन शास्ति लगाई जा सकती है। अत:, बॉयलर (न्यायनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के अनुसार आपसे अनुरोध है कि उल्लंघन के न्यायनिर्णयन के लिए आप बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 35 के अनुसार न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में उचित कार्रवाई करें।

शिकायतकर्ता का नाम व पता

तारीख:
स्थान:

प्ररूप–II

[नियम 5 का उप-नियम (1) देखें]

सेवा में,

-----------------------------------,

-----------------------------------,

-----------------------------------,

कारण बताओ नोटिस

विषय: बॉयलर अधिनियम, 2025 का उल्लंघन करते हुए बॉयलर का संचालन।

महोदय/महोदया,

दिनांक................... को प्राप्त शिकायत (प्रति संलग्न) के अनुसार, आपके .... स्थित परिसर में रजिस्ट्रीकरण संख्या................मेकर संख्या................. स्वामी का नाम........... वाले बॉयलर में बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा .... का उल्लंघन किया गया है।

2. उपर्युक्त उल्लंघन के लिए शास्ति लगाई जा सकती है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि यह नोटिस प्राप्त होने के ....दिनों के भीतर कारण बताएं कि शास्ति लगाने के लिए बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 35 के अधीन आपके विरुद्ध जांच क्यों न प्रारंभ की जाए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिला/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और न्यायनिर्णयन अधिकारी

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">प्ररूप-III
दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना
[नियम 5 का उप-नियम (5) देखें]</td></tr>
<tr><td colspan="3">सेवा में,
जिला/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट,
…………………,
………………….,
………………….,</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">मैं/हम, ……………………………….……………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
प्ररूप-I में की गई शिकायत पर प्रतिकथन करते हैं।

जिन आधार पर प्रतिकथन किया गया है, वे निम्नानुसार हैं: -
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिन कोड सहित पूरा पता और राज्य का नाम तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>उल्लंघनकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाइल नंबर</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3" align="center">प्ररूप-IV
अपील
[नियम 6 का उप-नियम (1) देखें]</td></tr>
<tr><td colspan="3">सेवा में,
अपील प्राधिकारी,
…………………,
………………….,
………………….,</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवेदक का विवरण:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(i) नाम:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) पत्राचार का पता:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) फोन नंबर:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(iv) ई-मेल:</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अपील का आधार:
(न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न की जाए)</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>तथ्यों का विवरण:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">मैं/हम…………., अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अपीलकर्ता का नाम:</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (या) कानूनी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
</table>

[फा. सं. पी-30015/2/202 बॉयलर]
डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 767 (E). —— In exercise of the powers conferred by clauses (k) and (l) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Boiler (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Boilers (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–(1*)* In these rules, unless the context otherwise requires, ——

(a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);
(b) "adjudicating officer" means the District Magistrate or the Additional District Magistrate authorised under sub-section (1) of section 35 of the Act;
(c) "appellate authority" means an officer authorised under sub- section (1) of section 36 of the Act;
(d) "form" means the forms appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act

3. Application.—— These rules shall apply to all Union territories.

4. Complaint. — Any person including an inspector may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any violation of the provisions of sections 27, 28, sub-section (1) of section 30 and 31 of the Act.

5. Holding of inquiry for adjudication. — (1) For the purpose of adjudication under section 35 of the Act, if the adjudicating officer has reason to believe that any person has violated the provisions specified in that section, shall issue a notice in Form-II to such person, requiring him to show cause within

a period as may be specified therein, not being less than seven days from the date of service thereof, as to why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) Where after considering the cause shown, if any, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry ought to be held, he shall issue a notice requiring the person to appear, either personally or through a duly authorised representative, on such date as may be specified therein.

(4) On the date fixed for appearance, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against, or to his authorised representative, the contravention alleged to have been committed.

(5) The adjudicating officer shall give the person, an opportunity to produce such documents or evidence in Form-III as he may consider relevant to the inquiry, for the purpose of adjudication, and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date.

(6) The adjudicating officer may, require and enforce the attendance of any person well conversant with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in his opinion, may be useful for or relevant to the subject matter of the adjudication.

(7) If any person fails, neglects or refuses to appear in response to a notice issued under sub-rule (3), the adjudicating officer may proceed in the absence of such person, after recording the reasons thereof.

(8) If, upon consideration of the evidence adduced, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by a reasoned order in writing, impose such penalty under the Act as he considers appropriate.

(9) Every order made under sub-rule (8) shall specify the provisions of the Act contravened and shall contain the reasons for imposition of the penalty.

(10) A copy of the order made under this rule, along with copies of all proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and to the person against whom the inquiry was held and a copy forwarded to the Chief Inspector.

(11) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice under sub-rule (1).

6. Appeal.— (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer may, within a period of sixty days from the receipt of such order, prefer an appeal to the appellate authority in Form -IV.

(2) Where an appeal is presented after the expiry of the period specified in sub-rule (1), it shall be accompanied by an application supported by an affidavit setting forth the facts relied upon by the appellant

to satisfy the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(3) An appeal filed under sub-rule (1) shall be accompanied by —

(a) a copy of order of the adjudicating officer issued under sub-rule (8) of rule 5;

(b) a clear statement of facts appealed against;

(c) the grounds for appeal; and

(d) reference to the relevant section of the Act.

(4) The appeal shall be filed in triplicate —
(a) by the appellant in person; or
(b) by his duly authorised representative; or
(c) through an advocate duly appointed in this behalf.
(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been presented to the appellate authority on the date of its actual receipt.
(6) Upon scrutiny, if the appeal is found to be in order, it shall be taken on file of the appellate authority.
(7) Upon scrutiny,–
(a) Where if appeal is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the appellate authority may allow the appellant to rectify the same in his presence;
(b) Where the defect is not formal in nature, the appellate authority may allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit;
(c) Where such appeal has been sent by post and found to be defective, the appellate authority may communicate the defects to the appellant and allow the appellant such time to rectify the defect as he may deem fit.
(8) Where the appellant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (8), the appellate authority may, by order, and for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal and communicate such order to the appellant within seven days thereof.

7. Fee.- (i) Every appeal shall be accompanied by fee of ₹ 1000/- (Rupees One thousand only) in the form of crossed demand draft drawn on any nationalised Bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, payable at New Delhi or through Bharat Kosh portal www.bharatkosh.gov.in:

(2) The payment acknowledgement slip shall be attached to the appeal.

8. Notice of appeal to respondent.- A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by speed post or through electronic means.

9. Filing of reply to appeal by respondent. – (1) The respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply before the appellate authority.

(2) A copy of every application, reply, document or written material filed by the respondent, shall be forthwith served on the appellant by the appellate authority.

10. Date of hearing. -The appellate authority shall inform the parties of the date fixed for hearing of the appeal.

11. Disposal of appeal. — (1*)* On the date fixed for hearing or on any other date to which the hearing may be adjourned, -

(a) the appellant shall be heard in support of the appeal;

(b) the appellate authority shall, if necessary, hear the respondent or his authorised representative;

(c) the appellant shall be entitled to reply; and

(d) the written arguments may be supplemented by oral arguments, subject to time limits as may be specified by the appellate authority.

(2) The appellate authority may call for the records of the proceedings from the adjudicating officer concerned.

(3*)* Where the appellant fails to appear, the appellate authority, may, in its discretion –

(i) dismiss the appeal; or

(ii) decide the appeal *ex-parte* on merits.

(4) The appellate authority may dispose of the appeal within sixty days from the date of filing of appeal.

(5) Every order under this rule, shall be dated, signed and communicated to all parties.

12. Order and penalties. — (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India

Form –I
[See rule 4]

To
District / Additional District Magistrate

____

Subject: Operation of Boiler in contravention of the Boilers Act, 2025.

Sir/Madam,

It has come to the knowledge of the undersigned that contravention has been committed under section --------------------------------------- of the Boilers Act, 2025 in a boiler having register number ………………Maker No………………………………owner name-------------------------------- in the premises of M/s------------------------------ at---------------------------------------(copy of the information / report (if any) is attached).

2. The above contravention is liable for penalty under the Boilers Act, 2025. Therefore, as per the Boiler (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, you are requested to take appropriate action as adjudicating officer as per section 35 of the Boilers Act, 2025 for adjudication of the contravention.

Name and address
of the complainant

Dated:
Place:

Form –II

[See sub-rule (1) of rule 5]

To

SHOW CAUSE NOTICE

Sub: Operation of Boiler in contravention of the Boilers Act, 2025.

Sir/Madam,

As per the complaint received dated __________(copy enclosed), contravention has been committed under section----------------------- of the Boilers Act, 2025 in a boiler having register number ………………Maker No……………. owner name------------------------- in your premises at ___________ __________________ .

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of ------ days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 35 of the Boilers Act, 2025 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.

District /Additional District Magistrate cum
Adjudicating Officer

FORM-III **Furnishing of document or evidence** **[See sub-rule (5) of rule 5]**		
To District / Additional District Magistrate ………………… …………………. ………………….		
1.	I/We, ……………………………….………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I The grounds in which the counter statement is made are as follows: - ………………………………………………………… …………………………………………………………	
2.	Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.	
3.	Signature of the contravener or his authorised representative:	
4.	Name of the person along with mobile number who has signed	

FORM-IV
Appeal
[See sub-rule(1) of rule 6]

To
Appellate Authority,
…………………
………………….
………………….

1.	Particular of appellant:	
	(i) Name:	
	(ii) Address for correspondence:	
	(iii) Contact No:	
	(iv) Email:	
2.	Grounds of appeal: (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)	
3.	Date of order of the adjudicating officer:	
4.	Statement of facts:	

I/We………..., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

5.	Signature of appellant and date:	
6.	Name of appellant:	
7.	Signature of the authorised Signatory (or) legal representative:	

[F. No. P-30015/2/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.30 16:34:40 +05'30'